पंजीयन प्रमाण–पत्र, औपबंधिक प्रमाण–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र को उपयोग अवैध माना जायेगा। परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 384/2023

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की डायरेक्टरी को ऑनलाईन अद्यतन (Update) एवं अपलोड करने हेतु दिनांक 06.11.2023 तक अवधि विस्तार करने के संबंध में विद्यालयों के प्रधान के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, अद्यतन रूप से कार्यरत शिक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्यों के उद्देश्य से माध्यमिक स्तर के शिक्षक डायरेक्टरी को अद्यतन (Update) करने हेतु **विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 360/2023 के माध्यम से समिति की वेबसाईट teach.biharboardonline.com पर कार्यरत शिक्षकों की विवरणी अद्यतन (Update)/अपलोड करने हेतु दिनांक 10.10.2023 से 20.10.2023 तक अवधि निर्धारित की गई थी।** परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अभी भी कतिपय विद्यालयों के प्रधान द्वारा अपने विद्यालय में अद्यतन रूप से कार्यरत शिक्षकों की सूची/विवरणी ऑनलाईन अद्यतन/अपडेट नहीं किया गया है।

2. **वर्णित आलोक में शिक्षकों की सूची/विवरणी को ऑनलाईन समिति की वेबसाईट teach.biharboardonline.com पर अद्यतन (Update)/अपलोड करने हेतु दिनांक 06.11.2023 तक के लिए पुनः अवधि विस्तारित की जाती है। साथ ही वैसे विद्यालय के प्रधान, जिनके द्वारा कार्यरत शिक्षकों की सूची ऑनलाईन अद्यतन (Update)/अपलोड नहीं की गई है, को निदेशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की सूची निर्धारित समयावधि के अंदर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अद्यतन (Update)/अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।**

3. **स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध शिक्षकों का विवरणी ऑनलाईन अद्यतन/अपलोड किया जाएगा। जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे विद्यालयों से वांछित विवरणी कदापि अद्यतन/अपलोड नहीं किया जायेगा।**

4. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिन विद्यालय के प्रधान द्वारा निर्धारित **तिथि 06.11.2023 तक** शिक्षकों की सूची समिति की वेबसाईट पर अद्यतन (Update)/अपलोड नहीं किया जाएगा, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को भेज दिया जाएगा और इसके कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए विद्यालय के प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

5. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय प्रधान को अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची/विवरणी को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अद्यतन (Update)/अपलोड करने हेतु अपने स्तर से सख्त स्पष्ट निदेश देने की कृपा करेंगे।

6. विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 325/2023 के शेष निदेश यथावत् रहेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

Scanned with CamScanner